

राजस्थान सरकार  
महिला एवं बाल विकास विभाग,  
शासन सचिवालय, जयपुर ।

क्रमांक : एफ 11 (3) ( ) मो./ आईसीडीएस/2003-04 102109-14 जयपुर, दिनांक 2.8.16  
उप निदेशक,  
महिला एवं बाल विकास विभाग,  
समस्त ।

विषय:— अक्रियाशील आंगनबाडी केन्द्रों को क्रियाशील करने के संदर्भ में।

प्रसंग:— भारत सरकार नई दिल्ली का पत्रांक अ.शा. न0.11013/2015-एम.ई.  
दिनांक 05.07.2016

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में दिनांक 22.02.2016 व 22.04.2016 को राज्यों के सचिव स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें राज्य में क्रियाशील से शेष रहे आंगनबाडी केन्द्रो व मानदेय कर्मियों के रिक्त पदों को गम्भीरता से लिया गया तथा केन्द्रों को शीघ्र क्रियाशील करवाने के निर्देश दिये गये है।

क्रियाशील से शेष रहे आंगनबाडी केन्द्रों को शत-प्रतिशत क्रियाशील करवाने हेतु समय-समय पर निदेशालय स्तर से आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाते रहे है। लेकिन उसके उपरान्त भी केन्द्र अक्रियाशील है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिले में क्रियाशील से शेष रहे आंगनबाडी केन्द्रों को ग्राम सभाएं आयोजित करवा कर शीघ्र शत-प्रतिशत केन्द्र क्रियाशील करावे तथा मानदेय के रिक्त पदों पर मानदेय कर्मियों का चयन माह अगस्त तक शत-प्रतिशत कराते हुऐ प्रगति रिपोर्ट भिजवावे, ताकि भारत सरकार को समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत कि जा सके।

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राज. जयपुर

क्रमांक : एफ 11 (3) ( ) मो./ आईसीडीएस/2003-04 102142-446

जयपुर, दिनांक 2.8.16

प्रतिलिपि -1 सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभाग भारत सरकार शास्त्री भवन नई दिल्ली-110001

2 समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनाथ प्रेषित है।

अतिरिक्त निदेशक(ICDS)  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राज. जयपुर।